

पालक का नाम (अज्ञान है तो पालक की जानकारी निवासी देश.....
 शैक्षणिक पात्रता पदवीधर पदव्युत्तर पदवीधर अन्य, कृपया नमूद करें,
 व्यवसाय पगारी स्वयं-रोजगारी निवृत्त गृहीणी छात्र गैररोजगारी
 व्यवसाय, जैसे डाक्टर, वकील, बैंकर, शिक्षक, वगैरह अन्य, कृपया नमूद करें
 संस्था एमएनसी प्रा. लि. पब्लिक लि. मालीकी
 भागीदारी इतर (कृपया नमूद किजिए)

अगर पगारी है तो :

नियोक्ता का/ आस्थापना का नांव..... काम का शिर्षक/पद कबसे काम करते है
 नियोक्ता के व्यवसाय का स्वरूप उत्पादन सेवा पुरवठादार कृषि जगह
 ब्यापारी अन्य, कृपया नमूद किजिए

स्वयं रोजगारी, व्यवसायी है तो :

व्यवसाय का स्वरूप उत्पादन सेवा पुरवठादार कृषि जगह
 ब्यापारी इतर, कृपया नमूद किजिए.

व्यवसाय का काम
 कानूनन मालक का नाम
 संबंधित व्यवसाय
 व्यवसाय का स्थळ, पता
 व्यवसाय कबसे करते है आस्थापना की वेबसाइट
 ग्राहक निवृत्त, गृहीणी, गैररोजगारी अथवा छात्र है तो, अगली जानकारी

निधी का स्रोत व वित्त की जानकारी :

उक्त से अंदाजन सालाना उत्पन्न स्थानिक चलन अंदाजन दुसरा को उत्पन्न स्थानिक चलन
 अन्य उत्पन्न का स्रोत कुल अंदाजन उत्पन्न
 खर्च के निधी का स्रोत: उत्पन्न निवेश बोनस पालक विक्री जायदात कर्ज
 रिश्तेदार विक्री संपत्ती अन्य (कृपया नमूद किजिए).....

अदालत ने नियुक्त किया हुआ नैसर्गिक पालक, कानूनन पालक मात्र अज्ञान के नाम से खाता खोल सकते है। नैसर्गिक पालक प्रथम दृष्टया पिताजी है।

दुसरा अर्जीदार/ पालक इनकी जानकारी

व्यक्तिगत माहिती

सध्य स्थितीत का ग्राहक अगर है तो खात संख्या नमूद किजिए

शिर्षक— श्रीमान श्रीमती सुश्री. डॉ. (कृपया उचित चुनिए)

पुरा नाम

स्थायी पता

वर्तमान निवासी पता

अस्थायी पता

दफ्तर का पता

निवासी दुरभाष

भ्रमणध्वनी —

पत्रव्यवहार का पता निवासी स्थायी विदेशस्थ पते का पहचान चिन्ह
 इ मेल आयडी लिंग : पुरुष / महिला / अलौग राष्ट्रीयता
 जन्मतारिख वैवाहीक स्थिति..... पैन / जीआयआर संख्या
 मोबाईल (पैन उपलब्ध नहीं है तो कृपया नमुना ६० भरिये)
 सीकेवायसी सं. जीएसटीआयएन सं.
 पिताजी का नाम माँ का शादी के पूर्व का नाम

पालक का नाम (अगर अज्ञान है तो पालक की जानकारी लिखिए) निवासी देश.....
 शैक्षणिक पात्रता पदवीधर पदव्युत्तर पदवीधर अन्य, कृपया नमूद किजिए
 व्यवसाय पगारी स्वयं-रोजगारी निवृत्त गृहीणी छात्र गैररोजगारी
 व्यवसाय, जैसे डॉक्टर, वकील, बैंकर, शिक्षक, वगैरह) अन्य, कृपया नमूद किजिए
 संस्था एमएनसी प्रा. लि. पब्लिक लि. मालीकी
 भागीदारी अन्य (कृपया नमूद किजिए)

पगारी है तो :

नियोक्ता/ आस्थापना का नाम काम का शिर्षक/पद कबसे काम करते हैं
 नियोक्ता के व्यवसाय का स्वरूप उत्पादन सेवा पुरवठादार कृषि जगह
 व्यापारी अन्य, कृपया नमूद किजिए

स्वयं रोजगारी, व्यवसायी है तो :

व्यवसाय का स्वरूप उत्पादन सेवा पुरवठादार कृषि जगह
 व्यापारी अन्य कृपया नमूद किजिए

व्यवसाय का काम
 कानूनन मालीक का नाम
 संबंधित व्यवसाय
 व्यवसाय का स्थल, पता
 व्यवसाय कब से करते हैं आस्थापना की वेब साइट
 ग्राहक निवृत्त, गृहीणी, अरोजगारी, अथवा छात्र है तो अगली जानकारी

निधी का स्रोत और वित्त की जानकारी :

उक्त से अंदाजन सालाना उत्पन्न स्थानीक चलन अंदाजन दुसरा कोइ उत्पन्न स्थानिक चलन
 अन्य उत्पन्न का स्रोत कुल अंदाजन उत्पन्न
 खर्च के निधी का स्रोत : उत्पन्न निवेश बोनस पालक विक्री जायदाद कर्ज
 रिश्तेदार बिक्री संपत्ती अन्य (कृपया नमूद करे)

अदालत द्वारा नियुक्त नैसर्गिक पालक, कानूनन पालक मात्र अज्ञान के नाम से खाता खोल सकते हैं, नैसर्गिक पालक प्रथम दृष्टया पिताजी हैं.....
 पहले अर्जीदार से रिश्ता

<p>मुदत जमा जानकारी : रकम <input type="checkbox"/> सादा <input type="checkbox"/> संयुक्त कालावधी: साल माह दिन व्याज दर प्रतिशत द.सा.द.शे. मंजुरी निर्देश <input type="checkbox"/> अपने आप जमा होना, उसी समय मे मेरे, बार्कलेज बैंक खाता सं. में सरल व्याज जमा होना और मुददल रकम नुतनीकरण होना. <input type="checkbox"/> मुदतपूर्तीची रकम माझ्या आमच्या बार्कलेज बैंक खाते क. मध्ये जमा होंगे, <input type="checkbox"/> अन्य, कृपया नमूद करणे. टीडीएस कटौती— <input type="checkbox"/> हों <input type="checkbox"/> नहीं (१५ह, १५ग नमुना संलग्न) अ) पसंदीदा जमा के लिए टीडी की अंशता रकम निकालना लागु नहीं है, ब) मुदत पूर्व रकम निकालने पर डंड लागु, अब १ टका, मुदत पूर्ती के निर्देश दिए नहीं हैं तो, मुदत जमा अपने आप जमा होगी, मुदत पूर्व डंड बिना जमा कर्ता मृत होने पर जमा मुदत पूर्व निकाल सकेंगे, अपने आप नुतनीकरण की शर्त पूर्ण करने पर कुछ निर्देश नहीं होने पर लागु बचत बैंक भाव से सादा व्याज देय रहेगा. अपने आप नुतनीकरण होने पर मुदत पूर्व जमा बंद करने पर अथवा ठेके के उस के उर्वरीत कालावधी से कम कालावधी के लिए नुतनीकरण करने पर बैंक उस के खुद के डंड सादा व्याज लगायेगी.</p>

<p>खाता इस्तेमाल करने की पध्दती : (अन्य लागु मुजब चिन्ह करें) <input type="checkbox"/> अकेले <input type="checkbox"/> सब जन संयुक्त मे <input type="checkbox"/> कोई एक अथवा उर्वरीत <input type="checkbox"/> दुसरा कोई, कृप्या नमूद करें.</p>
--

शुरूआत के रकम की जानकारी —
 आंतरराष्ट्रीय रकम देना

शाखा में भरने की नगद मात्र

बार्कलेज खाता सं. धनादेश सं. तारीख से हस्तांतर

दुसऱ्या बँकेचा धनादेश क्र. बँक शाखा दिनांक

दुसरे बँक का धनादेश सं. बँक शाखा दिनांक

स्थानिक वायर हस्तांतर बँक शाखा तारीख

शुरूआत की रकम का स्रोत

उत्पन्न बोनस निवेश पालक बिक्री जायदाद कर्जा कर्ज नातेवाइक विक्री संपत्ती

अन्य : कृपया नमूद करें

अन्य बँक एनआरड, एनआरओ, एफसीएनआर खाता

--	--

(बँक जानकारी) (धनादेश डाफ्ट सं.)

लगु मुजब काटें

चेनेल के पास पंजीकरण : संयुक्त खाता हैं तो निम्न सुविधा दी हैं तो मात्र दो में से एक अथवा उर्वरीत खातेदार ने खाता इसतेमाल करना हैं।
 मैं हम निम्न सेवा के लिए अर्जी करना चाहते हैं

स्थानिक डेबिट कार्ड (इस डेबिट कार्ड पर मात्र स्थानिक व्यवहार के लिए अनुमती हैं।

	१ला अर्जीदार	२रा अर्जीदार
डेबिट कार्ड की आवश्यकता	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

आंतर राष्ट्रीय डेबिट कार्ड (इस कार्ड पर स्थानिक और आंतरराष्ट्रीय दोनों व्यवहार के लिए अनुमती हैं।)

	१ला अर्जीदार	२रा अर्जीदार
डेबिट कार्ड की आवश्यकता	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

एटीएम कार्ड (एन.आर.ओ. खाते के लिए)

	१ला अर्जीदार	२रा अर्जीदार
डेबिट कार्ड की आवश्यकता	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	हाँ <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>

एसएमएस पाठवने : १ला अर्जीदार मोबाईज सं. [] १ला अर्जीदार मोबाई सं. []
 ईमेल पाठवने : ईमेल आयडी १ [] ईमेल आयडी १ []

१ला अर्जीदार भ्रमणध्वनी सं. २रा अर्जीदार भ्रमणध्वनी सं.
 डीएनसी न नही करना : हाँ नहीं

कृपया सूचना डी. एन. के लिए शुल्क भरने पर व्यवहार के बारे में बताने पर फर्क नहीं पडेगा, व्यवहार के बारे में संदेश और फोन के लिए मात्र डीएनसी पंजीकरण लागु हैं।
 १ला अर्जदार स्वाक्षरी [] २रा अर्जदार स्वाक्षरी []

क्लासिक कार्ड से रकम निकालने की मर्यादा : सब चेनेल से रोज ५०,००० मात्र
प्लेटीनम कार्ड से रकम निकालने की मर्यादा : सब चेनेल से रोज २,००,००० मात्र
एटीएम कार्ड से रकम निकालने की मर्यादा : सब चेनेल से रोज १,००,००० मात्र

पासबुक/पत्र का पर्याय — निम्न में से एक पर कृपया चिन्ह करें, पर्याय न होने का चिन्ह करने पर मासिक इ पत्रक पंजीकृत इ मेल पते पर भेजेंगे.

मासिक इ पत्रक — खाते खोलने के नमुने में दिए हुए पंजीकृत इ मेल पते पर निशुल्क इ पत्रक भेजेंगे।

मासिक पत्रक — मेलींग पते पर निशुल्क मासिक लिखित पत्रक भेजेंगे।

तिमाही पत्रक — मेलींग पते पर निशुल्क तिमाही लिखित पत्रक भेजेंगे।

पास बुक — पास बुक लेने के लिए, लिख लेने के लिए कृपया कृपया हमारी शाखा में मिलें।

अज्ञान खाते दार को घोषणा पत्र —

मैं कथन करात हूँ कि, मेरा इस अज्ञान खाते दार की जन्म तारीख/...../..... हैं और मैं उस का तारीख के अदालती आदेश से नियुक्त किया हुआ नैसर्गिक पालक/कानूनन पालक हूँ, प्रत संलग्न, यह अज्ञान खाते दार बालीग होने तक उक्त खाते में किसी प्रकार के सभी भावी व्यवहार करने के लिए इस अज्ञान के लिए प्रतिनिधित्व करने वाला हूँ, उस के खाते से मैं ने निकाले हुए किसी रकम के बारे में, व्यवहार के लिए उक्त अज्ञान ने किए हुए दावे के बारे में मैं बैंक को बताऊंगा.

पालक का दस्तखत

बार्कलेज

नाम निर्देशन का नमुना — ड.अ.१

बैंक में रकम जमा करने लिए बैंकिंग नियमल अधिनियम, १९४९ की धारा ४५इअ और बैंकिंग आस्थापना नाम निर्देशन नियम, १९८५ के नियम २१ के तहत नाम निर्देशन,

मैं/हम (अर्जादार का स्पष्ट अक्षर में नाम और पता)		
खाते संख्या	नाम	पता

मेरे, हमारे, अज्ञान के मृत्यु पश्चात बार्कलेज बैंक पीएलसी ने उक्त खाते की जमा रकम जिन्हें देनी है उन निम्न व्यक्ति को मैं नाम निर्देशित करता हूँ।

नाम निर्देशन की जानकारी,				
नाम: श्रीमान <input type="checkbox"/> /श्रीमती <input type="checkbox"/> /सुश्री <input type="checkbox"/>	पता	जमाकर्ता से रिश्ता, कुछ हो तो	उम्र	जन्म तारीख

अनिवासी खाता और जमा के नाम निर्देशन की जानकारी					
खाता अथवा जमा का प्रकार	नाम निर्देशन का नाम	नाम निर्देशन का पता	खाता धारक से रिश्ता	वय	जन्म तारीख
एन.आर.इ. बचत					
एन.आर.आर. बचत					
एन.आर.ओ. टी.डी.					
एन.आर.इ. टी.डी.					
एफ.सी.एन.आर. टी.डी.					

आज की तारीख में नाम निर्देशित अज्ञान है तो मैं हम नाम निर्देशित अज्ञान होते वक्त मेरे हमारे अज्ञान के जमा धारक के मृत्यु पश्चात नाम निर्देशित के नाम से जमा रकम लेने हेतु श्रीमान/ सुश्री/ श्रीमती, पता को नियुक्त करता हूँ।

तारीख

स्थल

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

बैंक खाता पत्रक और मुददत जमा सलाह इस पर नाम निर्देशित का नाम गोपनीय रखना मैं कबूल करता हूँ। होय नाही

अंगुठा रहेगा तो साक्षीदार जरूरी है।		
नाम	पता	दस्तखत
१		
२		

सुचना : मात्र एक व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकते हैं।

अज्ञान के नाम पर रकम जमा है तो अज्ञान के नाम से कानूनन लागु व्यक्ति ने नाम निर्देशन पर दस्तखत करनी है।

घोषणा पत्र (नाम निर्देशन सुविधा जरूरी नहीं हो तो)

मैं हम यह कथन करता हूँ कि, लागु अधिनियम से बैंक ने दिए हुए नाम निर्देशन सुविधा का महत्व मैं पढा और समझा हूँ, मात्र नाम निर्देशन सुविधा बिना खाता खोलना मैं हम ने तय किया है।

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

दस्तखत/
अंगुठे का निशान

इकरारनामा और अधिकार

इस अर्जी पर दस्तखत कर के आप ने व्यक्ति के रुप में आप ने खुद अथवा एच. यु. एफ. का कर्ता के रुप में अथवा भागीदारी आस्थापना, घटक, न्यास, संस्था अथवा परीषद के भागीदार, अधिकृत दस्तखत कर्ता के रुप में प्रसंगी अर्जी के नमुने में लिखे नाम से — १) निम्न दस्तखत कर्ता कथन करता हूँ कि, आप हमारे बार्कलेज बैंक पी. एल. सी. शाखा में बैंकिंग सेवा के लिए अर्जीदार हैं, उस में वचत, चालु, मुदत जमा खाता खोलना समाविष्ट हैं, लेकिन मर्यादित नहीं, उस तहत ए. टी. एम., डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग घर में बैंकिंग, बैंकिंग सेवा इस के बाद संयुक्त में संदर्भित, और ऐसे अन्य बैंकिंग सेवा समय समय पर हम ने उपलब्ध कर दिए हैं, २) घोषणा करता है कि आपने लागू शुल्क विवरण और आपके लिए उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं के लिए नियम और शर्तों को पढ़, समझ लिया है और सहमत हैं, जिसके लिए आपने आवेदन किया है। बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने के बाद, आपको यह अवश्य बताना चाहिए कि आपने नियम और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और सहमत हैं और ऐसी बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं या उनका लाभ उठा रहे हैं। आपने लागू शुल्कों के नियम और शर्तों और विवरण पढ़ लिए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप ऐसी बैंकिंग सेवाओं के लिए आवेदन करने या उनका लाभ उठाने से पहले लागू शुल्क विवरण और नियम और शर्तों को पढ़, समझ और सहमत हों। ३) आप समझते हैं और सहमत हैं कि समय-समय पर हम ऊपर उल्लिखित शुल्क और नियमों और शर्तों के विवरण में संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं और आप हमें हमारी वेबसाइट www.barclays.in पर सूचित करने के लिए सहमत हैं और आपको खाते के प्रत्येक उपयोग से पहले अपना रिकॉर्ड बनाना चाहिए। ४) पुष्टि करें कि आप इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हैं और आपने यह अधिकार/स्वीकृति/पावती दी है। ५) सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण सत्य और पूर्ण है। आप समय-समय पर हमारे द्वारा आवश्यक कोई भी जानकारी, दस्तावेज प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं। ६) स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि हमें आपके बारे में किसी तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, बार्कलेज समूह की इकाई या संस्था, चाहे वह विदेश में या भारत में स्थित हो, को आपके बारे में दस्तावेज या जानकारी प्रदान करने या संचार करने की आवश्यकता हो सकती है, जो इसके उपयोग के संबंध में हमें सेवाएं प्रदान करते हैं। हमारा खाता। इस तरह का कोई भी आदान-प्रदान या सूचना का हस्तांतरण सख्ती से गोपनीय होगा और हम ऐसी जानकारी की सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे। हालांकि, हम या इस तरह के तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाता, चाहे भारत में या विदेश में स्थित हों, कानून, नियम या शर्त या किसी सार्वजनिक या नियामक निकाय के अनुरोध या आवश्यकता के अनुसार आवश्यक या अनुमति के अनुसार जानकारी का खुलासा करेंगे, या यदि प्रकटीकरण आवश्यक समझा जाता है धोखाधड़ी को रोकें। ७) ऐसे व्यक्ति से ऐसी जानकारी/दस्तावेजों का उपयोग करना या प्राप्त करना या ऐसे व्यक्ति से ली गई जानकारी/दस्तावेज/उत्पाद अन्य क्रेडिट संस्थानों/वित्तीय संस्थानों/वित्त प्रदाताओं/उपयोगकर्ताओं को ऐसे व्यक्ति के साथ पंजीकृत क्रेडिट संस्थानों/वित्तीय संस्थानों/क्रेडिट संस्थानों को प्रदान करना / एजेंट / हम कानूनी निकाय के प्रति जवाबदेह होंगे और इस जानकारी का उपयोग करने के लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ८) यदि संयुक्त खाता खोला जाता है तो हमें पहले खाताधारक को स्टेटमेंट जारी करने के लिए अधिकृत करें। ९) एक संयुक्त खाते के मामले में, आप सहमत हैं कि हमें निर्देश दिया जाएगा कि आप में से किसी के द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके अन्य के बजाय आपके रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करें। १०) सभी नकद और हमारे खातों के उपयोग के लिए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होने के लिए सहमत होने के लिए। ११) स्वीकृति कि हम आपके आवेदन को अपने विवेकाधिकार पर स्वीकार या अस्वीकृत कर सकते हैं और यदि अनुमोदित हो तो केवल भारत में ही खाता खोलेंगे। १२) स्वीकार करें और स्वीकार करें कि हम आवेदन के नमूने लेंगे, फोटो के साथ संलग्न दस्तावेज लेंगे और आपका आवेदन आपको वापस नहीं करेंगे चाहे आपका आवेदन स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया हो। १३) जब तक आपके द्वारा अन्याथा सूचित नहीं किया जाता है, तब तक हम आपके खाते से सभी शुल्कों, देय राशियों को काटने के हकदार होंगे। १५) आप एतद्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि हम अपने विवेकाधिकार पर और आपको कम से कम १५ दिनों की पूर्ण सूचना के साथ, खाते को निलंबित, समाप्त कर सकते हैं और/अथवा किसी भी संबंधित सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से निलंबित कर सकते हैं। १६) वेतन जमा की चुकौतीरू आप अपने नियोक्तास्थापना के अनुरोध पर बैंक को स्थायी रूप से और बिना शर्त रूप से अधिकृत करेंगे कि वह नियोक्तास्थापना के निर्देश पर आपके खाते में राशि जमाधकटीतीधकटीतीधजमा करके राशि की वसूली करे। मेरे लिए.. आप बैंक द्वारा जमा की गई ऐसी किसी भी निकासीधकटीतीधनिकासी के लिए बैंक को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे। १७) खाते का उपयोग न करने की अवधि के परिणामस्वरूप आपका खाता तदनुसार रद्द हटा दिया जाएगा। १८) खाता सक्रिय होने के बाद और निश्चित दिनों के बाद हम आपको सूचित करेंगे और असंतुष्ट कारणों से आपका खाता निष्क्रिय होने पर हम आपको फिर से सूचित करेंगे। १९) जमाकर्ता की मृत्यु के मामले में, जमा राशि को समय से पहले निकाला जा सकता है। इस तरह के समय से पहले निकासी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। २०) गारंटी का अनुपालनरू जब आप खाता खोलते हैं तो हम आपको सूचित करेंगे कि खाते का उपयोग करने के बाद आपका खाता रद्दबहिष्करण के लिए निर्धारित किया जा सकता है या नहीं।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, आय.डी.ए.आय. सहित रैंककम लूटपाट की रोकथाम, रिकॉर्ड कीपिंग, दूसरा संशोधन नियम, २०१७ सहित लागू नियम और कानून। मैं/हम एतद्वारा अभिनियम, २०१६ और उसके तहत जारी निर्देशों के अनुसार या अधिकृत व्यक्ति की बीमारी के विवरण प्रदानखुलासा और/अथवा उपयोग करने के लिए सहमति देते हैं। मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि मेरी/हमारी जानकारी का उपयोग ऊपर बताए गए या बार्कलेज को प्रदान किए गए कानून द्वारा आवश्यक के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

पत्र में हस्ताक्षर के लिए आवेदक/अभिभावक के फोटो/हस्ताक्षर का विवरण।

तिरछे में दस्तखत किए गए

एकमात्र/प्रथम आवेदक/ज्ञानता की तस्वीरें




एकमात्र/प्रथम आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

तिरछे में दस्तखत किए गए

दूसरा आवेदक/ज्ञानता की तस्वीरें



दूसरा आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

बार्कलेज

नाम निदेश के पंजीकरण की पावती
आवेदन संख्या

हमारे पास श्रीमान / कुमारी

इनका खाता क्र

(यदि कोई नया खाता है, तो कृपया नया खाता निर्दिष्ट करें) नाम निदेश पत्र प्राप्त हुआ है)

तारीख

स्थान

बैंक अधिकारी का दस्तखत

सूचना : यदि हम माननीय निदेश पत्र को पंजीकृत नहीं करते हैं क्योंकि कुछ तकनीकी विवरण या जानकारी की आवश्यकता है, तो हम आपको तदनुसार सूचित करेंगे।

विवरण के लिए कृपया हमें ग्राहक customerservices@barclays.com या एनआरसी nri@barclays.com पर ईमेल करें।

नमूना संख्या ६० (नियम ११४बी का दूसरा परंतुक)

व्यक्तियों द्वारा भरे जाने की घोषणा, न कि प्रतिष्ठान या संस्थाएं, जिनके पास पैन नंबर नहीं है और जो नियम ११४बी के तहत लेनदेन करना चाहते हैं।

१. प्रथम नाम : पुरा नाम: २. घोषणाकर्ता की जन्म तिथि/स्थापना

मध्य नाम :

उपनाम :

३. पिताजी का नाम, यदि कोई है तो

प्रथम नाम:

मध्य नाम :

उपनाम :

४. सदनिका, कमरा संख्या ५. तल संख्या

६. मकान का नाम

७. कमरे का नाम, नंबर

८. सड़क, गली,

९. स्थान, जगह

१०. गांव/ कस्बा ११. जिला १२. राज्य

१३. पिन कोड १४. दूरभाष संख्या (एसटीडी संख्या के साथ) १५. मोबाईल क्रमांक

१६. लेन—देन की राशि (₹.) १७. लेन—देन की तिथि

१८. यदि संयुक्त नाम से लेनदेन किया जाता है, तो लेनदेन में शामिल व्यक्तियों की संख्या

१९. लेन—देन का प्रकार: कैश चेक कार्ड ड्राफ्ट/बैंक का चेक ऑनलाइन ट्रांसफर अन्य

२०. यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार नं. (यदि कोई)

२१. यदि पैन के लिए आवेदन किया गया है और अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन की तिथि और पावती संख्या

२२. यदि पैन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है, तो ऊपर दिए गए वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा ६४ के तहत पत्नी, अविवाहित बच्चों आदि सहित आय का विवरण दें।

(अ) कृषि आय (₹.)

(ब) कृषि के अलावा अन्य आय (₹.)

२३. पिछले निर्देशों के तहत धारा १ में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण।

दस्तावेज का नाम	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

२४. पिछले निर्देशों के तहत धारा १ में पहचान के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण।

दस्तावेज का नाम	दस्तावेज पहचान संख्या	दस्तावेज जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

सत्यापन पत्र

मैं, घोषित करता हूँ कि उपरोक्त पाठ मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं आगे कहता हूँ कि मेरे पास पैन नं. नहीं, और मैं, पत्नी, अज्ञानी बच्चे आदि की आय सहित हमारी अनुमानित कुल आय, धारा ६४ के तहत निपटाए गए वित्तीय वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, १९६१ के प्रावधानों के तहत कर योग्य नहीं अधिकतम राशि से कम है। आयकर अधिनियम, १९६१ की। आज तारीख प्रति शपथ (घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर)

सूचना—

- घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषणाकर्ता को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी सभी प्रकार से सत्य, सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत बयान देता है, वह आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २७७ के तहत दंडनीय होगा और किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर,
 - रुपया पच्चीस लाख से अधिक की धोखाधड़ी करने पर छह माह का साधारण कारावास, लेकिन जुर्माने के साथ इसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
 - किसी भी अन्य मामले में तीन महीने का कठोर कारावास, लेकिन इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी हो सकता है।
- यदि घोषणाकर्ता ने धारा २१ नहीं भरी है और पैन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो धारा २२बी में निर्दिष्ट आय की राशि अधिकतम गैर—कर योग्य राशि से अधिक होने पर घोषणा नहीं ली जानी चाहिए।

निर्देश

(१) पै न और धारा २० के लिए आवेदन करने पर पहचान और पते के निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

अ. क्र.	कागजपत्र का प्रकार	कागजपत्र का नाम	पहचान का प्रमाण	पते का प्रमाण
अ	व्यक्तियों और एचयूएफ के लिए			
१	आधार कार्ड	१	हाँ	हाँ
२	पैन्नी/डाकघर पास बुक व्यक्ति की तस्वीर के साथ	२	हाँ	हाँ
३	मतदाता फोटो पहचान पत्र	३	हाँ	हाँ
४	व्यक्ति के फोटो के साथ प्रिस्क्रिप्शन लीफलेट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैथड लीफलेट	४	हाँ	हाँ
५	चालक का लाइसेंस	५	हाँ	हाँ
६	पत्र	६	हाँ	हाँ
७	पेशनभोगी	७	हाँ	हाँ
८	राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना (एनआरडीजीएस)	८	हाँ	हाँ
९	व्यक्ति के फोटोग्राफ का जाति या अधिवास प्रमाण पत्र	९	हाँ	हाँ
१०	संसद सदस्य या लोक सभा या नगर आयुक्त या राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर, जिसमें पताध्वहचान प्रमाण पत्र संलग्नक—ए में नमूना ४९ (ए) के अनुसार है।	१०	हाँ	हाँ
११	प्रपत्र ४९(ए) में अनुबंध—बी के अनुसार नियुक्त व्यक्ति से प्रमाण पत्र	११	हाँ	हाँ
१२	तस्वीरों वाली किसान पासबुक	१२	हाँ	नहीं
१३	शस्त्र लाइसेंस	१३	हाँ	नहीं
१४	केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना पूर्व कर्मचारी नामांकन स्वास्थ्य योजना	१४	हाँ	नहीं
१५	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र	१५	हाँ	नहीं
१६	विज भुगतान (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	१६	नहीं	हाँ
१७	लैंडलाइन टेलीफोन बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	१७	नहीं	हाँ
१८	पानी का बिल (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	१८	नहीं	हाँ
१९	गैस लीफलेटबुक या गैस भुगतान (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	१९	नहीं	हाँ
२०	बैंक खाता विवरण (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	२०	नहीं	हाँ
२१	क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	२१	नहीं	हाँ
२२	जमाकर्ता खाता विवरण (तीन महीने से अधिक पुराना नहीं)	२२	नहीं	हाँ
२३	संपत्ति पंजीकरण पत्रक	२३	नहीं	हाँ
२४	सरकार से २४ निवास पत्र	२४	नहीं	हाँ
२५	व्यक्ति का नाम पत्नीधरिता का पासपोर्ट	२५	नहीं	हाँ
२६	संपत्ति कर भुगतान रसीद (एक महीने से अधिक पुरानी नहीं)	२६	नहीं	हाँ
ब	व्यक्तियों के संस्थान (ट्रस्ट) के लिए	२७	हाँ	हाँ
	ट्रस्ट डीड या चौरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति	—	हाँ	हाँ
क	व्यक्ति का शरीर (ट्रस्ट के अलावा या किसी व्यक्ति या स्थानीय निकाय या कृत्रिम कानूनी व्यक्ति के निकाय के लिए)	२८	हाँ	हाँ
	चौरिटी कमिश्नर या सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार या किसी अन्य संबंधित कार्यालय या किसी अन्य मूल दस्तावेज द्वारा जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या किसी केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से व्यक्ति की पहचान और पते को दर्शाने वाला कोई अन्य मूल दस्तावेज।	—	हाँ	हाँ

(२) अज्ञानता के नाम पर लेनदेन के मामले में, उपरोक्त दस्तावेजों में से किसी को भी अज्ञानता के किसी भी अभिभावक ६ माता—पिता की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में अज्ञानता की घोषणा करने वाले की पहचान और पते के प्रमाण के रूप में माना जाएगा।, ऐसी घोषणा माता—पिताभ्राता—पिता द्वारा हस्ताक्षरित की जा रही है।

(३) एचयूएफ के लिए एचयूएफ धारक के नाम से कोई भी दस्तावेज आवश्यक है।

(४) एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर लेन—देन के मामले में, व्यक्तियों की संख्या क्रम संख्या १८ में निर्दिष्ट होगी और लेनदेन की कुल राशि क्रमांक १६ के अनुसार होगी।

यदि धारा २२(बी) में अनुमानित कुल आय कर योग्य अधिकतम राशि से अधिक नहीं है, तो व्यक्ति को धारा २१ के अनुसार पै न के लिए आवेदन करना चाहिए और आवेदन का प्रमाण संलग्न करना चाहिए।

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

आवश्यक प्रावधान

खाता क्रमांक

ग्राहक आयडी (सी.आय.एफ.)..... प्रोफाइल जमा करने की तिथि

ग्राहक द्वारा (कारण सहित) रखने की अपेक्षा की जाने वाली औसत शेष राशि पर आपका शुल्क क्या होना चाहिए?

पीईपी जानकारी उपलब्ध है नहीं

क्या यह ग्राहक खाते का एकमात्र लाभकारी स्वामी है? है नहीं

यदि उपरोक्त प्रश्न के लिए नहीं तो वह ग्राहक की ओर से किस हैसियत से व्यवहार करता/करती है

अपेक्षित मासिक लेनदेन राशि (स्थानीय मुद्रा)

लेनदेन का प्रकार	कुल लेनदेन राशि		लेनदेन की कुल संख्या		जमा लेनदेन विवरण/सूचना	निकासी लेनदेन विवरण/सूचना
	जमा	निकासी	जमा	निकासी		
नगद						
चेक						
अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण						
स्थानीय स्थानांतरण						
अपेक्षित कुल राशि						

जिस देश से ग्राहक का लेन-देन लिंक है

के.वाई.सी. जाँच किए जाने वाले: नाम आयडी
दस्तावेज दस्तखत तारीख
स्वीकृत नाम आयडी
दस्तखत तारीख

अनिवासी ग्राहक की अधिक जानकारी

१. प्रथम आवेदन का विवरण (प्राथमिक आवेदक)

परिपत्र संख्या [] जारी करने का स्थान []
जारी करने की तिथि [] समाप्ति की तिथि [] निवास का प्रकार एन.आर.आय. पी.आय.ओ.
बीजा जारी करने का स्थान [] दिल्याची तारिख [] समाप्ति तिथि []

२. विदेश में वर्तमान आवासीय पता (अनिवार्य)

पता []
[] पोस्ट कोड []
निवासी का देश [] ईमेल []
दूरभाष क्रमांक [] भ्रमणध्वनी क्रमांक []
कार्यालय दूरभाष क्रमांक []

३. भारत में स्थायी पता (यात्री के लिए अनिवार्य, अन्य के लिए वैकल्पिक)

पता []
[] पोस्ट कोड []
देश [] दूरध्वनी क्रमांक []

४. द्वितीय/संयुक्त आवेदक का विवरण

अनिवासी प्रकार एन.आर.आय. पी.आय.ओ. भारतीय निवासी प्रमाणपत्र संख्या []
जारी करने का स्थान [] जारी करने की तिथि [] मुदतपुर्तीची तारिख []
बीजा जारी करने का स्थान [] जारी करने की तिथि [] मुदतपुर्तीची तारिख []

अन्य सूचना

५. यदि पहले से ही बार्कलेज बैंक इंडिया का ग्राहक है

१ ला आवेदक का खाता नं. [] खात्याच्या प्रकार [] बार्कलेज इंडिया सी.आ.एफ. सं. []
२ रा/संयुक्त अर्जदाराचे खाते क्र. [] खात्याच्या प्रकार [] बार्कलेज इंडिया सी.आ.एफ. सं. []

६. खाते का चयन

खातो का प्रकार एन.आर.ई. बचत एन.आर.ओ. बचत [] एन.आर.इ. मूल निधी राशि [] एन.आर.ओ. मूल निधी राशि []
 एन.आर.ई. सावधि जमा एन.आर.ओ. सावधि जमा एफ.सी.एन.आर. सावधि जमा
अवधी [] (साल) [] (महिने) [] (दिवस) [] (राशि)

एफ.सी.एन.आर. चलन जी.बी.पी. (£) यू.एस. (\$) यूरो (€)

आपका एन.आर.ओ. यदि आप सावधि जमा पर डीटीएलएल लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया टिक करें

जमा की सीधी दर के लिए (कृपया हमारी वेबसाइट www.barclays.in पर जाएं)

७. जमा राशि का नवीनीकरण (केवल सावधि जमा आवेदन को पूरा करना)

कार्यकाल पूरा करने के संबंध में निर्देश

स्वतरु नवीनीकरण (उसी अवधि के लिए) मेरे/हमारे बार्कलेज खाते में ब्याज की प्रत्यक्ष जमा और मूलधन नवीनीकरण

मेरे/हमारे बार्कलेज खाते में परिपक्वता राशि जमा करें

बार्कलेज खाते पर नाम [] बार्कलेज खाता संख्या. []

- यदि अवधि पूरी करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया जाता है, तो सावधि जमा स्वतः नवीनीकृत हो जाएगी।
- स्वतरु नवीनीकरण के पूरा होने पर, आपको लागू बचत बैंक दर पर सीधे ब्याज मिलेगा जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। यदि जमा स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है या अनुबंध को उसकी शेष अवधि से कम अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाता है। बैंक अपनी पेनल्टी सीधे ब्याज वसूल करेगा।

८. आपका समझौता और अधिकार

इस आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करके, आप, इस आवेदन पत्र में नामित व्यक्ति, संयुक्त रूप से और अलग-अलग निम्नलिखित को स्वीकार करते हैं।

१. आप घोषणा करते हैं कि आप समय-समय पर संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ के तहत परिभाषित एक अनिवासी भारतीय हैं।
२. आप गारंटी देते हैं कि आपके द्वारा प्रदान किया गया कोई भी विवरण सत्य और पूर्ण है।
३. आप हमें (१) जमा पंजीकरण के लिए इस आवेदन पर विचार करते समय आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करते हैं, (२) अपने बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और आप अपने खाते का उपयोग जमा संदर्भ एजेंट को कैसे करते हैं, (३) ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं खातेघ्रजेंट को।
४. आप हमें आपके खाते में उपयोग के लिए वर्तमान या भविष्य का पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या), एक चेक बुक और ध्या पर्ची प्रदान करने के लिए अधिकृत करते हैं। आप सहमत हैं कि हम आपके वर्तमान कार्ड को किसी भी समय रद्द कर देंगे या इस अनुबंध द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य कार्ड से बदल देंगे, जिसके लिए आप पात्र हैं।

५. आपने आगे की सेवाओं और सेवा उत्पादों पर लागू नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और उनसे सहमत हैं। आप जानते हैं कि यदि आप किसी आशी सेवा और सेवा उत्पाद के लिए आवेदन करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो आप इन नियमों और शर्तों को पढ़ और स्वीकार कर लेंगे।
६. हम जमा की परिपक्वता तिथि के बाद किसी भी अवधि के लिए जमा पर सीधे ब्याज का दावा नहीं करेंगे। आप विदेशी मुद्रा, अनिवासी खातों, अनिवासी विदेशी खातों और अनिवासी सामान्य खातों के लिए मौजूदा नियमों और मुद्रा नियंत्रणों से बंधे हैं।
७. यदि आपके अनुरोध पर परिपक्वता तिथि से पहले निकासी की अनुमति है तो जमा पर सीधे ब्याज मौजूदा नियमों के अनुसार ही उपलब्ध होगा। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निवेश और बचत के लिए आपके खाते से सभी कटौतियां भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के अनुसार होंगी।
८. आप अपने निवासस्थान में किसी भी परिवर्तन के बारे में बार्कलेज बैंक इंडिया को सूचित करते हैं और आवश्यकतानुसार बार्कलेज बैंक इंडिया को और जानकारी प्रदान करते हैं।
९. खाते का उपयोग भारत के नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
१०. यह स्वीकार किया जाता है कि खाते का उपयोग लागू कर के अनुसार किया जा सकता है।
११. निश्चित रूप से, स्थानांतरण पैटर्न में, विशेष निर्देशों में, एन.आर.आई. निरूशुल्क एन.आर.आर. यदि आप हस्तांतरण के लिए अपनी पात्रता के बारे में अपनी बार्कलेज बैंक शाखा को सूचित करते हैं, तो भारत के भीतर निरूशुल्क धनराशि स्थानांतरित की जा सकती है।
१२. यह स्वीकार करने के लिए कि संतोषजनक दस्तावेज और सत्यापन के बाद ही भारत में खाता खोला जा सकता है।
१३. हम सहमत हैं कि अगर बार्कलेज बैंक इंडिया को कूरियर द्वारा शिपमेंट के दौरान कोई या सभी दस्तावेज खो जाते हैं, तो हम उन्हें बदल देंगे और हम पारगमन में इस तरह के नुकसान के परिणामस्वरूप किसी भी मूल्य, व्यय या हानि के लिए हमें सूचित और क्षतिपूर्ति करेंगे।
१४. आप समझते हैं कि आपके द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के संबंध में हमारे द्वारा कुछ सत्यापन के बाद आपका खाता खोला जाएगा।
१५. आप हमें अपने उत्पादों की आपूर्ति करने की अनुमति देते हैं या उनके उत्पादन के लिए आपको भेजते हैं, साथ ही हमारे द्वारा किए गए किसी भी व्यवस्था के लिए, हमारे विवेकाधिकार और निर्णय में किसी तीसरे पक्ष को आपके खाते का विवरण प्रदान करने के लिए।
१६. बैंक बिना कोई कारण बताए आपके आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
१७. आप और हमें संयुक्त धारक एनआरआई हैं। इसलिए हम हमें यह बताने के लिए सहमत हुए हैं कि इसे कब रद्द किया जाएगा।
१८. आप सहमत हैं कि आप फेमा के प्रावधानों और समय-समय पर इसके तहत जारी सभी निर्देशों का पालन करेंगे और आप इसके सभी परिवर्तनों से अवगत होंगे।
१९. यदि ऐसी कोई एक या शेष सावधि जमा बैंक को अंतरित की जाती है, तो बैंक शेष संयुक्त जमाकर्ता को अन्य पक्ष की मृत्यु की स्थिति में संयुक्त निदेश प्राप्त होने पर ही पूर्व-दिनांकित राशि निकालने की अनुमति देगा। इस संबंध में संयुक्त जमाकर्ता को बिना किसी पूर्व-दिनांकित दंड के आरोपित किया जा रहा है।
२०. यह सहमत है कि हम दोनों में से किसी के द्वारा अधिकृत चेक और अन्य देय आदेशों को हमारे संयुक्त खाते से काटा जा सकता है।
२१. हमें आपके खाते का संयुक्त विवरण जारी करने के लिए अधिकृत करें।
२२. हम स्वीकार करते हैं कि हम किसी अन्य पक्ष द्वारा प्रदान की गई जानकारी का उपयोग करके अपने रिकॉर्ड को पूरा कर सकते हैं।
२३. यह स्वीकार करते हुए कि आप हमें भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए व्यक्तिगत रूप से और संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
२४. आप स्वीकार करते हैं कि हम इस आवेदन में विस्तृत किसी भी व्यक्ति को इस आवेदन के अनुसार आप दोनों के खिलाफ किसी भी संचित व्यय संदर्भ धोखाधड़ी या अन्य पुछताछ करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
२५. भारतीय अधिनियम द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मेरीश्वमारी मृत्यु के बाद नामिती को आवेदन की शेष राशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक को अधिकृत करना। साथ ही इस समझौते पर हस्ताक्षर कर हमने माना है कि हम भारतीय मूल के अनिवासी भारतीय हैं।
२६. मैश्वम भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) या किसी अन्य कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित विदेशी नियंत्रण नियमों के अनुसार खातेधज्जा को बनाए रखने और संचालित करने और उक्त सुविधा का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से सहमत हैं।
२७. मैश्वम स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि मैश्वम भारत में समय-समय पर लागू कानूनों के अनुसार जमा और उसकी राशि का भुगतान करेंगे और भारत में उस शाखा में जमा राशि का भुगतान करेंगे जहां राशि है रखा। बैंक केवल अपने विवेक से भारत में किसी भी अन्य शाखा से जमा राशि निकालने की अनुमति देगा। भारत के बाहर किसी भी शाखा या कार्यालय में जमा की गई राशि (मुख्य कार्यालय धारण करने वाले) का भुगतान बैंक को नहीं किया जा सकता है।
२८. आरबीआई उक्त सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों में से किसी के साथ हमारे द्वारा गैर-अनुपालन की स्थिति में, हम केंद्र सरकार या किसी अन्य नियामक निकाय को खातेधज्जा और उक्त जमा सुविधा के संबंध में अपने सभी अधिकारों को माफ करने के लिए सहमत हैं। सक्षम प्राधिकारी और खातेधज्जा और सेवा हम आगे उक्त पेढ़ी सुविधा को प्राप्त करनेधारण करने और उपयोग करने से परहेज करने के लिए सहमत हैं। उपरोक्त प्रावधानों, दिशानिर्देशों, बाध्यकारी नियमों और शर्तों या किसी भी लागू कानून के मेरेध्वमारे द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन के मामले में, मैश्वम बैंक को किसी भी नुकसान या क्षति के बारे में सूचित करेंगे। ऐसी घटना की स्थिति में, बैंक ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह उचित समझे। मेरेध्वमारे व्यक्तिगत विवरण, खाते, जमा, लेनदेन या बैंक के व्यवसाय के बारे में किसी भी कारण से और किसी भी समय किसी भी संबंधित न्यायिक न्यायालय, गैर-न्यायिक कार्यालय, कानून प्रवर्तन एजेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के संबंधित विभाग, आरबीआई, आयकर विभाग, अधिकृत विभाग, वित्तीय संस्थान, क्रेडिट नियामक, एजेंट, विक्रेता, कोई भी प्रतिष्ठान, जो बैंक का एक सहयोगी या सहयोगी या सहकारी या समूह प्रतिष्ठान है। मैश्वम बैंक को उन्हें जारी करने का पूरा अधिकार देते हैं।

एचईएमए, १९९९ की धारा १०(५) के तहत घोषणा, मैश्वम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि बैंक के साथ समय-समय पर हमारे द्वारा तय किए गए सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन में उपरोक्त अधिनियम या किसी अधिनियम के प्रावधानों का कोई भी गैर-अनुपालन शामिल होगा। नियम, निर्देश, निर्देश या उसके तहत जारी आदेश या उल्लंघन का गठन नहीं हुआ है या नहीं हुआ है। मैश्वम उपरोक्त घोषणा की शर्तों के अनुसार लेनदेन के संबंध में हमारी संतुष्टि के अनुसार ऐसी जानकारीध्वस्तावेज प्रदान करने के लिए भी सहमत हैं। मैश्वम यह भी स्वीकार करते हैं कि यदि मैश्वम ऐसे किसी प्रावधान का अनुपालन करने से इनकार करते हैं या केवल असंतोषजनक पालन करते हैं, तो बैंक ऐसे लेनदेन को लिखित रूप में अस्वीकार कर सकता है और यदि उन्हें यह विश्वास करने का कारण मिलता है कि मैनेध्वमने कोई गैर-अनुपालन किया है उल्लंघन, वे मामले को आरबीआई के संज्ञान में ला सकते हैं। सूचित करेंगे।

२९. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) या किसी अधिकृत अधिकारी को लागू नियमों और अधिनियम (घन के दुरुपयोग की रोकथाम) (अभिलेखों का रखरखाव) द्वितीय संशोधन, नियम २०१७ के अनुसार आधार विवरण का उपयोग और सेवा प्रावधान ष्वम आधार नियमावली, २०१६ और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सूचित करने की अनुमति देते हैं। मैश्वम समझते हैं कि मेरेध्वमारे द्वारा बार्कलेज को प्रदान की गई जानकारी का उपयोग कानून द्वारा या ऊपर वर्णित के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

९. मूल भारतीय व्यक्ति (पीआईई) घोषणा (यदि लागू हो)
 मैं याद्वारे शपथवेद कथन व निवेदन करतो की, परिक्रिय चलन व्यवस्थापन अधिनियम, १९९९(फेमा) अन्वये व्याख्याप्रमाणे, मैं एक मुळ भारतीय व्यक्ति (पीआयओ) आहे.

अ. मैंने अपनी पीआईओ शीट संख्या की एक प्रति संलग्न की है, या
 ब. मेरे पास पीआईओ शीट नहीं है, लेकिन मैं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हूं। (कृपया उस विकल्प पर निशान लगाएं जो आप पर लागू होता है)
 मेरे पास पिछला भारतीय पासपोर्ट है या

मेरे माता—पिताध्दादा—दादी (नाम) _____ना किंवा नागरीकत्व अधिनियम, १९५५ के तहत भारत गणराज्य के नागरिक हैं/थे, या

मैं एक भारतीय नागरिक या पीआईओ का जीवनसाथी हूँ।

मैं आगे कहता हूँ कि मैं खाने के उपयोग और फेमा के प्रावधानों और उसके तहत जारी दिशा—निर्देशों के संबंध में सभी लागू कानूनों और विनियमों का पालन करूंगा।

तारीख

दस्तखत

दूसरा /संयुक्त आवेदक — मूल भारतीय (पीआईओ) की घोषणा।

मैं शपथ पर घोषणा और घोषणा करता हूँ कि मैं एक मूल भारतीय (पीआईओ) हूँ जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ (एचईएमए) के तहत परिभाषित किया गया है।

अ. मेरे पी.आई.ओ. शीट नं. _____ इसकी एक प्रति मैंने संलग्न की है। या

ब. मेरे पास एक पीआईओ है। कोई शीट नहीं है, लेकिन मैं निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हूँ (कृपया उस विकल्प पर टिक करें जो आप पर लागू होता है।)

मेरे पास पहले भारतीय पासपोर्ट था, या _____

मेरे माता—पिताध्दादा—दादी (नाम) _____के सविधान या नागरिकता अधिनियम, १९५५ के तहत भारत गणराज्य के नागरिक हैं/थे, या

मैं एक भारतीय नागरिक या पीआईओ का जीवनसाथी हूँ।

मी पुढे असे कथन करतो की, खाते वापरणे व फेमाच्या तरतुदी व त्याखाली दिलेले मार्गदर्शन याबाबतचे सर्व लागू अधिनियम व नियम अन्वये मी बांधील राहीन.

दिनांक

दस्तखत

केवल कार्यालय के उपयोग के लिए

आवेदन देया भारत यू.ए.ई. यू.के.

शाखा का नाम _____ शाखा का प्रकार शाखा की बाहरी संज्ञा

तारीख कर्मचारी के हस्ताक्षर

१०. अनिवासी भारतीय (पीआईओ/ओसीआई/सीमेन) सहित, उनके के.वाई.सी. दस्तावेज।

१ पहचान का प्रमाण

वैध पासपोर्ट की स्वप्रमाणित प्रति

२ एन.आर.आय. के बारे में जांच

निम्नलिखित में से किसी एक स्वप्रमाणित प्रति का सत्यापन

वैध कार्य / अध्ययन परमिट / निवास के वैध देश का बीजा

पीआईओ/ओसीआई के मामले में।

१. पी.आई.ओ. पत्रक (मूल भारतीय व्यक्ति पत्रक)

२. ओ.सी.आई. पत्रक (भारत के विदेशी नागरिक पत्रक)

३. एन.आर.आई खाता खोलने के पैटर्न में दिया गया पीआईओ। घोषणा पत्र

४. भारतीय मूल का कोई भी प्रमाण जिसमें निम्नलिखित में से कोई भी बिंदु दिखाई दे।

अ. एक व्यक्ति जिसके पास कभी भारतीय पासपोर्ट रहा हो या

ब. एक व्यक्ति या व्यक्ति के माता—पिता या दादा—दादी या परदादा—परदादा

भारतीय थे।

नाविकावावत

नाविक के बारे में

अनिवार्य दस्तावेज

१. वैध सी.डी.सी. (निरंतर आंदोलन प्रमाणपत्र)

२. घोषणापत्रिका

अन्य कागजात

स्थायी कर्मचारियों के मामले में

१. हालिया कार्य अनुबंध

२. अंतिम भुगतान पर्ची (६ महीने से अधिक पुरानी नहीं)

संविदा कर्मचारियों के संबंध में

१. अंतिम कार्य अनुबंध, सीडीसी जारी होने से पहले ५ महीने से अधिक के लिए वैध नहीं होना

चाहिए, या वैध बीजा और पासपोर्ट पर इमिग्रेशन स्टैम्प ६ महीने से अधिक पुराना नहीं होना

चाहिए।

२. यदि रोजगार अनुबंध ६ पत्र ५ महीने से अधिक समय पहले समाप्त हो गया है रू स्थानीय एजेंट

का पत्र पोस्ट—डेटिंग एम्बार्केशन या चल रहे रोजगार अनुबंध/पत्र।

पते का प्रमाण निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्वप्रमाणित प्रति।

वर्तमान विदेशी निवासी १. वैध पासपोर्ट वर्तमान विदेशी निवासी पता दिखा रहा है।

१. वैध पासपोर्ट वर्तमान विदेशी निवासी पता दिखा रहा है।

२. पी.आई.ओ. पत्रक (मूल भारतीय व्यक्ति पत्रक)

पत्त्याच्या पुरावा

सध्याच्या परदेशी निवासी

ओसीआई पत्रक (भारत का विदेशी नागरिक पत्रक)

पता (नोटरू पोस्ट बॉक्स नंबर, पता स्वीकार नहीं किया गया)

४. वैध कामाचा परवाना (सध्याच्या परदेशी निवासी पत्ता दर्शविणारा)

५. वोटर आईडी कार्ड

६. लँडलाइन टेलीफोन विल, ३ महीने से अधिक पुराना न हो ।

७. प्रिस्क्रिप्शन/घरेलू पत्रक

८. बैंक स्टेटमेंट (खाताधजमाफ्रेडिट कार्ड) ३ महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

९. उपयोग बिल (बिजलीघौसधानी) ३ महीने से अधिक पुराने नहीं हैं।

१०. वैध विदेशी चालक का लाइसेंस

११. विदेशी निवासी परमिट (विदेशी सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र)

१२. केंद्र सरकार से प्राप्त कोई भुगतानधस्तावेज जो १२ महीने से अधिक पुराना न हो

१३. वैध पंजीकृत पट्टाधट्टा समझौता

१४. व्यक्तिगत ग्राहक सूचना रिपोर्ट की प्रति (वार्कलेज बैंक यूके से हार्ड कॉपी) के.वाई.सी. लिखित सूचना की एक प्रति, जिसमें वार्कलेज यूके शामिल है। कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित (पूरी सूचना पत्र दिखाने वाली प्रतिलिपि।)

१५. विदेशी विश्वविद्यालय का पत्र जिसमें प्रवेश और आवास दर्शाया गया हो।

१६. संगठन को मासिक रखरखाव का भुगतान जो ३ महीने से अधिक पुराना न हो।

१७. जीवन बीमा पॉलिसी या सदस्यता नवीनीकरण नोटिस (दोनों १२ महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।)

१८. पैन वितरण पत्र

४. हिट और सीआरएस। — व्यक्ति का सेल्फ अटैस्टेड सैंपल।

११. ग्राहक के खाते के उपयोग को नियंत्रित करने वाले तृतीय पक्षों के लिए नियम

(अनिवासी व्यक्तिगत खाते के लिए लागू)

इस नमूने के पीछे की ओर अनुमति दी गई है (या तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी प्रदान की गई है।)

प्रति, बार्कलेज बैंक, पीएलसी। (आप) तारीख

नीचे दिए गए तीसरे पक्ष का नाम (खाता धारक) एतद्वारा मुझे/हमें मेरे/हमारे पास धारित निम्नलिखित बैंक खाते का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है (भुगतान निर्देशों सहित निर्देश जारी करने के लिए।)

खाते का नाम शाखा का नाम

खाता प्रकार और संख्या एन.आर.ई. बचत खाता

(प्रति खाता केवल एक व्यक्तिगत नमूना)

निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत खाताधारक का पूरा नाम

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ करते हैं कि श्री/श्रीमती का खाता के नाम से एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है, कि मेरा हैं (माता-पिता/पति/पत्नी/भाई/बहन)

१. मैं/हम एतद्वारा खाताधारक को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करते हैं।

अ. स्थानीय भुगतान के लिए खाता चेक, ड्राफ्ट और बैंक आदेश की प्राप्ति।

ब. मुझे देय सभी राशियों का भुगतान करें, प्राप्त करें, मांगें या मांगें और मेरे/हमारे खाते में मेरे/हमारे नाम पर लागू जमा राशि का भुगतान करें।

क. मेरे/हमारे खाते में भारत में सावधि जमा या अन्य लागू जमाओं में शेष राशि का निवेश करने के लिए और खाताधारक द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार ऐसी जमा राशि को नवीनीकृत करने के लिए।

ड. भारत में निवेश करने के लिए खाते का उपयोग करना।

इ. मेरे/हमारे नमूना खाते के लिए जारी एटीएम कार्ड और चेक बुक का उपयोग करना और,

फ. उपरोक्त खाते के संबंध में आपसे जानकारी का अनुरोध।

२. आप मेरे/हमारे द्वारा आशा खाताधारक द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करने के लिए मेरे/हम द्वारा अधिकृत हैं।

३. मैं/हम एतद्वारा एक दूसरे को इस प्रकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं।

अ. इस प्राधिकरण के साथ आपको निर्देश केवल खाताधारक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में दिए जा सकते हैं।

ब. खाताधारक से प्राप्त किसी भी निर्देश पर कार्रवाई करने से पहले उसकी जांच करना आपका कर्तव्य नहीं है।

क. जब तक मेरे द्वारा लिखित रूप में निरस्त नहीं किया जाता, यह प्राधिकरण जीवित रहेगा।

ड. हम खाताधारक को एटीएम कार्ड और चेक बुक जारी करने के लिए अधिकृत हैं।

इ. मैं/हम और खाताधारक सभी लागू दिशानिर्देशों के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, १९९९ के प्रावधानों और समय-समय पर लागू सभी नियमों का पालन करेंगे।

फ. यह सुविधा खाताधारक को खाताधारक को विदेशी मुद्रा निधि निकालने की अनुमति देती है।

ग. खाता धारक या इस प्राधिकरण द्वारा किसी भी लेन-देन के कारण हुए किसी भी नुकसान, दावे, कार्रवाई, विलेख, मूल्य, शुल्क और व्यय के खिलाफ हमें क्षतिपूर्ति करें और,

ह. उपरोक्त खाता खाताधारक द्वारा बंद नहीं किया जा सकता है।

४. यदि आप भारत में शाखा का दौरा करने में असमर्थ हैं, तो सभी संबंधित दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियां कोरियर द्वारा शाखा को भेजी जानी चाहिए। मैं, हमने सभी शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं। मैं, हम आगे स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि खाते का उपयोग केवल महान्यायवादी द्वारा किया जाएगा जैसा कि लागू आरबीआई नियमों द्वारा निर्देशित है और मैंने, हमने नीचे महान्यायवादी के हस्ताक्षर को सत्यापित और सत्यापित किया है।

मैं, कुलाधिपति, नीचे दी गई मेरी व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के लिए सहमति देता हूँ। मैं इस प्राधिकरण में मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने और ऊपर उल्लिखित खाते का उपयोग करने के लिए ग्राहक के समझौते से बाध्य होने के लिए सहमत हूँ।

कुलाधिपति का नाम

जन्मतारीख

पता

छायाचित्र

कुलाधिपति की दस्तखत

निवास का देश

राष्ट्रीयता

व्यवसाय कार्य

कुलाधिपति का राशी पुस्तक दिया: हाँ नहीं

कुलाधिपति को एटीएम कार्ड दिया: हाँ नहीं

प्रत्येक खाताधारक का पूरा नाम

प्रत्येक खाताधारक के हस्ताक्षर

(कृपया ध्यान दें संयुक्त नाम खाता प्राधिकरण के मामले में, सभी खाताधारकों को हस्ताक्षर करना चाहिए।)

व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग

(सहमति इस प्रकार है)

१. हम (बार्कलेज बैंक)

किसी अन्य संस्थान, क्रेडिट कार्यालय, एजेंट, अधिकारी, कार्यकारी, न्यायिक और नियामक निकाय से अनुरोध या आदेश के अनुसार ऐसे नियमों और शर्तों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या दे सकते हैं या मांग सकते हैं, जैसा कि हम उचित समझते हैं। प्रासंगिक संदर्भ की संख्या (बाद में संयुक्त रूप से सूचना के रूप में संदर्भित)।

२. यदि आपको लगता है कि किसी तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता को अपने बारे में जानकारी देना या स्थानांतरित करना आवश्यक है। विदेश में या भारत में स्थित बार्कलेज समूह के प्रतिष्ठान या सहयोगी हमारे व्यवसाय के संचालन में हमें सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। ऐसी जानकारी का कोई भी प्रकटीकरण या हस्तांतरण सख्त विश्वास में किया जाएगा और हम ऐसी जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखेंगे, बशर्ते कि हम या भारत या विदेश में स्थित कोई तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता कानून, विनियम या शर्त के अनुसार आवश्यक या आवश्यक जानकारी का खुलासा कर सकता है। भारत या विदेश में या किसी सार्वजनिक या नियामक संस्था के अनुरोध पर। यह जानकारी धोखाधड़ी या किसी भी घोटाले से बचने के लिए प्रदान की जानी चाहिए।

३. हम आपको उन उत्पादों और सेवाओं के बारे में पत्र, टेलीफोन (टेक्सटिंग या ईमेल सहित) द्वारा सूचित करेंगे जो आपकी रूचि के हो सकते हैं।

जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

१. पूरा नामरूप कृपया कुलमुखारनामा धारक के लिए प्रथम, मध्य और अंतिम नाम सूचित करें।

२. सूचना प्रपत्र को पूरा करने के बाद, इसे उस व्यक्ति को भेजें जिसे आप मुखारनामा धारक के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं।

३. मुखारनामा धारक को निम्नलिखित जानकारी भेजने का अधिकार।

अ. फोटोग्राफरूप कुलमुखारनामा धारक का फोटो निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाना।

ब. पहचान का प्रमाणरूप कुलमुखारनामा धारक के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-हस्ताक्षरित प्रति।

१. वैध पासपोर्ट

२. पैन कार्ड

३. मतदाता पहचान पत्र (वर्तमान आवासीय पता दिखा रहा है)

४. वैध चालक का लाइसेंस

५. खाताधारक/आवेदक के फोटो के साथ वर्तमान आवासीय पता दर्शाने वाला शीशा/घरगुटी कार्ड।

६. किसी सरकारी कार्यालय द्वारा अपने कर्मचारी को जारी किया गया पहचान पत्र

७. सरकार द्वारा जारी पेंशन पे शीट।

८. सरकार द्वारा जारी बरिष्ठ नागरिक प्रमाण पत्र।

क. पते का प्रमाणरूप प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक की स्व-सत्यापित प्रति प्रदान करना।

१. वैध पासपोर्ट

२. मतदाता पहचान पत्र

३. प्रिंस्क्रिप्शन शीट / घरेलू कार्ड

४. टेलीफोन बिल तीन महीने से अधिक पुराने नहीं हैं।

५. खातेधनेवेश/क्रेडिट कार्ड का बैंक विवरण तीन महीने से अधिक पुराना न हो।

६. बैंक पासबुक जिसमें प्रविष्टियां तीन महीने से अधिक पुरानी न हों।

७. पानीधबजलीधौस बिल तीन महीने से अधिक पुराना न हो।

८. आयकर विभाग का पत्र तीन माह से अधिक पुराना न हो।

९. सरकारी विभागों द्वारा जारी अन्य लेवी, नोटिस/नोटिस।

१०. संगठन को मासिक रखरखाव शुल्क का भुगतान जो तीन महीने से अधिक पुराना न हो।

११. वैध पंजीकृत लीज शीट/रेंटल एग्रीमेंट

अ. यदि व्यक्ति प्रतिष्ठान के आवासीय परिसर में रहता है, यदि व्यक्ति के नाम पर कोई किरायेदारी समझौता नहीं है, तो स्थापना द्वारा जारी एक कानूनी हस्ताक्षर

और स्टाम्प पत्र और प्रतिष्ठान द्वारा जारी किरायेदारी समझौते / सूदखोरी पत्र का पत्र उक्त आवास के लिए ग्राहक।

१२. सरकार द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेशधुस्तक/शीट।

१३. जीवन बीमा पॉलिसी या नवीनीकरण रसीद बारह महीने से अधिक पुरानी नहीं हैं।

१४. पैन वितरण पत्र

१५. पति या पत्नी, पुत्र-पुत्री और माता-पिता जैसे करीबी रिश्तेदार के साथ रहने वाले व्यक्ति के मामले में वैध पहचान पत्र और आशा के करीबी रिश्तेदार के पते का प्रमाण और अनुलग्न-बी ८ के अनुसार घोषणा। सहमति इस प्रकार है।